24.7.24

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]।

[illegible]
[illegible] ([illegible]) [illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी साँगोद जिला कोटा।

बइजलास रामावतार मीणा (आर.ए.एस.)

मि0 नं0 56/2023 दावा/बउनवान/बृजेश कुमार वगैरा/राज्य सरकार

1. बृजेश कुमार पुत्र श्री गजेन्द्र प्रसाद,
2. राकेश कुमार पुत्र श्री गजेन्द्र प्रसाद,
3. शीला पुत्री श्री गजेन्द्र प्रसाद,
4. सुशीलाबाई बेवा श्री गजेन्द प्रसाद जातियान कुमरावत निवासीयान ग्राम सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा। —वादीगण—

—बनाम—

राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साँगोद जिला कोटा। --प्रतिवादी—

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम, 1956

—:: निर्णय ::— दिनॉक :— 28/9/2024

वादीगण ने इस न्यायालय में एक वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण के पिता स्व.गजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री जमनालाल के संयुक्त खातेदारी की खसरा नंबर 122 रकबा 1.08 हैक्टर, खसरा नंबर 353 रकबा 1.85 हैक्टर कुल किता 2 की कुल 2.93 हैक्टर आराजी वाके ग्राम माछल्या तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित है। वादी क्रं. 1 लगायत 3 के पिता व वादी क्रं. 4 के पति का वास्तविक नाम 'गजेन्द्र प्रसाद पुत्र जमनालाल' है जिसकी पुष्टि फौती इन्तकाल संख्या 169/12 दिनांक 13.09.2000 से होती है किन्तु सेटलमेंट/राजस्व कर्मचारियों द्वारा लापरवाही पूर्व वादी क्रं. 1 ता 3 के पिता के वास्तविक नाम 'गजेन्द्र प्रसाद' को त्रुटिपूर्वक 'राजेन्द्र प्रसाद' अंकित कर दिया जिसका सेटलमेंट/राजस्व को विधिक अधिकार नहीं थ। वादी क्रं. 1 ता 3 के पिता 'गजेन्द्र प्रसाद' की दिनांक 02.01.2023 को मृत्यु हो चुकी है। गत सप्ताह वादीगण द्वारा फौती इन्तकाल खुलवाने के लिए पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो पटवारी हल्का द्वारा राजस्व रिकार्ड में मृतक गजेन्द्र प्रसाद का नाम 'राजेन्द्र प्रसाद' अंकित होने के कारण फौती इन्तकाल खोलने में असमर्थता जाहिर की और न्यायालय में कार्यवाही करने की राय व्यक्त की। सेटलमेंट/राजस्व कर्मचारियों की उक्त त्रुटि के कारण स्व.गजेन्द्र प्रसाद का फौती इन्तकाल नहीं खुल पा रहा है जिसके कारण वादीगण को 'प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि योजना' का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। यदि उक्त राजस्व त्रुटि को दुरूस्ती नहीं किया जाता है तो वादीगण को ऐसी अपरिमित क्षति होगी जिसकी भविष्य में कभी पूर्ति नहीं हो सकेगी। जबकि कानूनन 'गजेन्द्र प्रसाद' की मृत्यु के बाद मृतक की हिस्सा आराजी वादीगण को विरासतन प्राप्त होने से गजेन्द्र प्रसाद की आराजी हिस्सा के वादीगण कानूनन खातेदार काश्तकार हो चुके है। इस प्रकार कानूनन वादीगण स्व.गजेन्द्र प्रसाद की हिस्सा आराजी के खातेदार टीनेन्ट होकर खातेदारी अधिकारों की

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
साँगोद- कोटा

Scanned with OKEN Scanner

घोषणा करवाने के अधिकारी हैं। वादकारण गत सप्ताह पटवारी हल्का द्वारा स्व.गजेन्द्र प्रसाद का फौती इन्तकाल दर्ज करने में असमर्थता जाहिर करने व न्यायालय में कार्यवाही करने की राय व्यक्त करने पर उत्पन्न हुआ। राज्य सरकार को भूमिधारी होने से जर्ये तहसीलदार सॉगोद प्रतिवादी की हैसियत से पक्षकार बनाया गया है। विवादग्रस्त आराजी माल ग्राम माछल्या तहसील सॉगोद जिला कोटा में स्थित होने से माननीय न्यायालय को उक्त वादपत्र का श्रवण करने का क्षैत्राधिकार प्राप्त है। अतः माल ग्राम माछल्या तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 122 रकबा 1.08 हैक्टर, खसरा नंबर 353 रकबा 1.85 हैक्टर कुल किता 2 की कुल 2.93 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में अंकित त्रुटिपूर्ण नाम "राजेन्द्र प्रसाद पुत्र जमनालाल हिस्सा 1/4" का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

वादीगण की ओर से उपरोक्त आशय का वादपत्र प्रस्तुत होने पर वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद तलबी प्रतिवादी की ओर से तहसीलदार सांगोद द्वारा जवाब सरकार मय पटवारी रिपोर्ट पटवार हल्का लबानिया के प्रस्तुत किया जिसमें जाहिर किया गया है कि वादीगण के ग्राम माछल्या में खाता संख्या 79 में पिताजी का नाम राजेन्द्र प्रसाद पुत्र जमनालाल हिस्सा 1/4 जाति कुमरावत दर्ज रिकार्ड है। संलग्न दस्तावेज नामान्तकरण सं. 169/12 में मृतक जमनालाल पुत्र रामनारायण का विरासत नामान्तरकरण दर्ज हुआ है जिसमें वादीगण के पिता का नाम गजेन्द्र प्रसाद दर्ज है। साथ ही वादीगण के दस्तावेजों से भी पिता का नाम गजेन्द्र पसाद ही है। अतः उक्त समस्त दस्तावेजों एवं वादीगणों से स्पष्ट होता है कि लिपिकीय त्रुटि के कारण प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में राजेन्द्र प्रसाद दर्ज हो गयाहै जिसे शुद्ध कर गजेन्द्र प्रसाद किया जाना उचित होगा। पत्रावली पर उपलब्ध पक्षकारों के अभिवचनों, रेकार्ड, दस्तावेजात के अनुसार दावा वादीगण स्वीकार करना उचित समझता हूं।

अतः दावा वादीगण स्वीकार कर माल ग्राम माछल्या तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 122 रकबा 1.08 हैक्टर, खसरा नंबर 353 रकबा 1.85 हैक्टर कुल किता 2 की कुल 2.93 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में अंकित त्रुटिपूर्ण नाम "राजेन्द्र प्रसाद पुत्र जमनालाल हिस्सा 1/4" का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार अन्तिम डिक्री मुर्तिब की जावे।

निर्णय आज दिनॉक 28.9.2024 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सॉगोद, जिला- कोटा

(रामावतार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सॉगोद

Scanned with OKEN Scanner